न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– श्री हरफूल सिंह यादव, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 227/2024

जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/227

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. फाउलाल पुत्र भभुताजी जाति प्रजापत उम्र 62 वर्ष निवासी बागोडा तहसील बागोडा जिला जालोर		1. जुआराराम पुत्र भभुताजी 2. वीरमाराम पुत्र भभुताजी 3. खीन्दाराम पुत्र भभुताजी जातियान प्रतापत निवासी बागोडा तहसील बागोडा जिला जालोर 4. सत्यनारायण पुत्र स्व. मोहनलाल 5. गोपीकिशन पुत्र स्व. मोहनलाल जातियान श्रीमाली, निवासी बागोडा तहसील बागोडा जिला जालोर 6. रमेश कुमार पुत्र स्व. बद्रीनारायण 7. रमेश कुमार पुत्र स्व. बद्रीनारायण 8. लक्ष्मीनायण पुत्र स्व. बद्रीनारायण 9. दिनेश कुमार पुत्र स्व. बद्रीनारायण जातियान श्रीमाली निवासी बागोडा तहसील बागोडा जिला जालोर 10. भोलाराम पुत्र पीराराम 11. पुखराज पुत्र पीराराम जाति कलबी निवासी बागोटी तहसील बागोडा जिला जालोर। 12. ममता कुमारी पुत्री लक्ष्मीनारायण 13. सविता देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण 14. हीणा कुमारी पुत्री दिनेश कुमार 15. जावित्री देवी पत्नी दिनेश कुमार जातियान श्रीमाली निवासी बागोडा तहसील बागोडा जिला जालोर 16. मुकेश पुत्र अचलाराम जाति सोनार निवासी बागोड़ा हाल नरता तहसील भीनमाल जिला जालोर 17. सरंपच ग्राम पंचायत बागोडा तहसील बागोडा 18. राजस्थान जरिये तहसीलदार बागोडा

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या 46/2016 दिनांक 30.08.2019

29.11.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

उपस्थिति :–

1. श्री जामताराम पटेल, विद्वान अधिवक्तागण, अपीलाण्ट्स
2. श्री केराराम चौधरी, शैलेष कुमार चौधरी, रेस्पोडेण्ट्स संख्या 8, 12 व 13
3. श्री लाधूराम पूनिया, विद्वान अधिवक्तागण, रेस्पोडेण्ट्स संख्या 16

:: निर्णय ::

दिनांकः– 29.11.24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट्स संख्या 16 की ओर से अंतर्गत धारा 20(2) के परन्तुक राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, जालोर को प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा दिनांक 30.08.2019 को निर्णय पारित किया गया।

2. उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–08–2019 से व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने यह प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

4. बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस के द्वौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि प्रत्यर्थी मुकेश कुमार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20(2) के तहत प्रस्तुत किया गया जो कि अपीलार्थी के विरूद्ध कानूनन पोषणीय हीं नहीं हैं, क्योंकि उक्त प्रार्थना–पत्र उन व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा सकता हैं जिनको राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम के अधीन भूमि का आवंटन किया गया हो और उनके द्वारा उस आवंटन में उपबंधित शर्तों का उल्लघंन किया गया हो अथवा आवंटन छल या मिथ्या व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया हो लेकिन अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि सत्यनारायण और गोपीकिशन से दिनांक 24.05.2000 को जरिये रजिस्टर्ड बेचानामा खरीद की गई थी जो उनके पूर्वजों के कब्जा काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि थीं। इस प्रकार जब उक्त भूमि किसी प्रकार से आवंटित हुई ही नहीं थी तो प्रत्यर्थी मुकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र अपीलार्थी के विरूद्ध कानूनन पोषणीय हीं नही हैं। इसी बिनाह पर अपीलाधीन आलौच्य निर्णय दिनांक 30.08.2019 निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि प्रत्यर्थी मुकेश ने नामांतरण संख्या 156 व 157 दिनांक 07.03.1968 को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत चुनौती दी हैं एवं उक्त नियम

29.11.24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

गजट नोटिफिकेशन की तिथी से अर्थात् दिनांक 11.03.1971 से प्रभावी होने के कारण भूतलक्षीत प्रभाव से लागू नहीं होते हैं। इसी विनाह पर भी अपीलाधीन आलौच्य निर्णय दिनांक 30.08.2019 निरस्त किये जाने योग्य हैं। प्रत्यर्थी ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 (2) के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर विवादित जमीन को जलागम का क्षेत्र बताने का कुप्रयास किया हैं एवं उक्त क्षेत्र से पानी इकट्ठा होकर तालाब में एकत्रित होने के कथन किये है। जिसका वास्तविकता से कोई लेना–देना नहीं हैं। वास्तव में उक्त भूमि अपीलार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि है, जिस पर घनश्याम और मदन लाल के पूर्वजों का कब्जा काश्त व उनकी खातेदारी सेटलमेन्ट से पूर्व व बाद में लगातार रही थी जो अपीलार्थी द्वारा खरीद करने तक बरकरार रही। सेटलमेन्ट से पूर्व से उक्त भूमि पर घनश्याम और मदन लाल पूर्वजों का कब्जा काश्त सम्बंधित तथ्य खसरा गिरदावरी विक्रम संवत् 2008 से 2016 से स्वतः स्पष्ट हैं। उक्त भूमि कभी जलागम क्षेत्र नहीं रही है और ना ही उक्त भूमि से वर्तमान में भी किसी तालाब में जल जाता है। वास्तविक भौगोलिक स्थिति के अनुसार मौके पर किसी भी प्रकार का प्रथम सेटलमेन्ट के पहले, उसके बाद और आज दिन तक पानी का भराव/बहाव नहीं रहा है। पत्रावली के संलग्न फोटो ग्राफ्स से मौके की वास्तविक भौगोलिक स्थिति स्पष्ट हैं।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि वक्त सेटलमेंट से पूर्व उक्त भूमि का खसरा संख्या 659 था जो वक्त सेटलमेंट खसरा संख्या 651 के रूप में रूपांतरित कर दिया गया एवं वर्तमान समय में उक्त खसरा संख्या 792/651 को नये खसरा संख्या 1274/1478 वगैरा में रूपातंरित कर दिया गया है जो पर्चा खतौनी विक्रम संवत् 2009 और भूमि मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट हैं। वास्तव में उक्त भूमि पायतन नहीं होकर मूल रूप से चाही पंचम हैं जो कि वक्त सेटलमेन्ट के पहले के खसरा मौजा विक्रम संवत् 1999 एवं खसरा गिरदावरी विक्रम संवत् 2008 से 2016 से स्पष्ट है। वक्त सेटलमेन्ट राजस्व अधिकारियो की त्रुटि की वजह से गलत तरीके से उक्त भूमि पायतन अंकित कर दी गई थी, जबकि वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त भूमि पर धर्माशंकर श्रीमाली का ही कब्जा काश्त एवं खातेदारी निरन्तर रही हैं जो कि उस समय की खसरा गिरदावरी एंव लगान रसीदों से स्पष्ट है। जहां तक प्रश्न नामान्तरण संख्या 156 व 157 में उक्त भूमि का रेगुलाइज किया जाना अंकित होने का है तो उस संबंध में निवेदन है कि स्वर्गीय धर्माशंकर श्रीमाली द्वारा दिनांक 05.12.1959 को उपखण्ड अधिकारी भीनमाल के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा उक्त भूमि को गलत तरीके से सेटलमेन्ट के समय पायतन दर्ज होने को सुधारकर स्वंय के खातेदारी की घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत कर अपने पक्ष में दावा डिक्री कवाया गया था, जिसके वाद संख्या 258/1960 बअनवान धर्माशंकर श्रीमाली बनाम सरकार है। उक्त तथ्य वाद संख्या 258/1960 बअनवान धर्माशंकर श्रीमाली बनाम सरकार की मिसल के उपलब्ध रेकर्ड की प्रमाणित प्रति की फोटो प्रतियों से स्पष्ट है। 1993 में भीनमाल में बाढ़ आने की वजह से न्यायालय का अधिकांश रेकर्ड नष्ट हो गया था जो कि शेष उपलब्ध था उसकी फोटो प्रति संलग्न हैं। तत्पश्चात उक्त कृषि भूमि का 1/2, 1/2 हिस्से को मदनलाल व घनश्याम के पक्ष में उक्त भूमि का नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया गया। अपीलार्थी सद्भाविक केता हैं और वक्त खरीद से उक्त भूमि का कब्जा काश्त खातेदार हैं। इसी बिनाह पर अपीलाधीन आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि प्रत्यर्थी मुकेश कुमार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं को बागोडा का निवासी बताया हैं जबकि वह भीनमाल के नरता गांव का रहने वाला हैं जो कि बागोडा से करीब 40 किमी दूर हैं। इस प्रकार प्रत्यर्थी मुकेश कुमार माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है और उक्त प्रार्थना पत्र अपीलार्थी को तंग वह परेशान कर गलत वह गैर कानूनी तरीके से बेजा व अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया है। इस बिनाह पर भी अपीलाधीन आलीच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। इस प्रकरण में अपीलार्थी सुकी देवी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया नोटिस/सम्मन प्राप्त नहीं हुआ लेकिन तामील कुलींदा द्वारा गलत तरीके से सम्मन पर अपीलार्थी द्वारा सम्मन नहीं लेने से इन्कार करने का नोट डाला गया है। उक्त टिप्पणी दिवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अनुसार अपीलार्थी पर सम्यक तामील नहीं हैं। इस प्रकार अपीलाधीन आलौच्य आदेश अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसे गलत तरीके से अनुपस्थित बता कर पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत व कानूनन गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा कभी भी उक्त भूमि का लगान संदाय नहीं किया गया हैं। वास्तविक तथ्य इस प्रकार हैं कि सेटलमेंट से पुर्व व बाद अपने जीवनकाल में धर्माशंकर श्रीमाली द्वारा, उनके पुत्रों द्वारा तथा वक्त खरीद के बाद से ही उक्त भूमि की लगान निरन्तर रूप में अपीलार्थी जमा कराते आ रहा है। यहां कागजों की बहुलता (Bulkiness of papers) से बचने के लिये कुछ आवश्यक लगान की रसीदे प्रस्ती की गई हैं। प्रत्यर्थी मुकेश ने नामांतरण संख्या 156 व 157 दिनाक 07.03.1968 को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत दिनांक 05.09.2016 को करीब 48 वर्ष के बाद चुनौती दी हैं। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय व विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अनेक नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर उक्त प्रार्थना–पत्र अत्यधिक विलम्ब से पेश किये जाने से काबिले खारिज हैं।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 16 ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.2019 विधि के अनुसार होने अपील खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि नियम 20(2) के अनुसार आवंटन पर ऐसा अतिक्रमी इन नियमों में उपबन्धित आवंटन की शर्तों से आवद्ध होगा और उसे खातेदारी अधिकार उसी प्रकार प्रोदुभूत होंगे, जैसे कि उसे इन नियमों के अधीन आवंटन हुआ है।

परन्तु यह कि जहां उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा किया गया नियमन, कपट या मिथ्या व्यापन से या नियमों के विपरीत कराया गया हो तो कलेक्टर की स्वप्रेरणा से या किसी के आवेदन पर ऐसा नियमन निरस्त करने की शक्ति होगी।

इस प्रकार प्रत्यर्थी मुकेश का अपीलार्थी के बेचानकर्ता का नियमन आदेश निरस्त करने का प्रार्थना पत्र बखूबी उपरोक्त वर्णित प्रावधान की परीधी में आता है

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अपीलाधीन आदेश उपरोक्त प्रावधानों में शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को सत्यनारायण और गोपीकिशन ने सार्वजनिक उपयोग की पायतन भूमि का बेचान करके कोई हानि पहुंचाई है तो उसके लिए अपीलार्थी भूमि का दावा/अपील नहीं कर सकता है उसको केवल बेचानकर्ता घनश्याम और मदनलाल के विरूद्ध हर्जाने का दावा करने का अधिकार रहता है। इस प्रकार अपीलार्थी इन आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार नहीं होने से इसकी अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलार्थी की ओर से आलोच्य नामातंरकरण संख्या 156 व 157 दिनांक 07.03.1968 को राज० भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) नियम 1970 लागू नहीं होने का गलत कारण दिया है जबकि (निरस्त नियम) राज० भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) नियम 1957 के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा किए गए आवंटन एव नियमन आदेशों को उक्त 1970 के नियमों के तहत चूनौती दिये जाने का नियम 14(4) व नियम 20(2) के परन्तुक में प्रावधान किए गये हैं, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में उक्त प्रावधानों का विस्तार से विश्लेषण करते हुए आक्षेपित दोनों नामान्तरकरण को निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया है इस प्रकार अपीलार्थी का उपरोक्त कथन पूर्णतया गलत साबित होता है जो निरस्तनीय है।

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलार्थी का विवादित भूमि जलागम क्षेत्र नहीं होने का कथन पूर्णतया गलत है जबकि अपीलार्थी स्वयं द्वारा जो विवादित भूमि का रेकर्ड पर्चा खतौनी सन् 1952 संवत् 2009 की नकल प्रस्तुत की गई जिसमें विवादित भूमि पायतन दर्ज है पायतन जलागम क्षेत्र होता है इसके अलावा अपीलार्थी के बेचानकर्ता घनश्याम व मदनलाल या उनके पूर्वज के नाम जमाबंदी या खतौनी जिसमें भूमि का रेकार्ड ऑफ राईट्स दर्ज किया जाता है का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से बहुत पहले से विवादित भूमि पायतन दर्ज है जिसकी खातेदारी प्रदान करने में उसकी धारा 16 वर्जित करती है आलोच्य नामातंरकरण सं. 156 व 157 अधिनियम 1955 के प्रावधानों के उल्लघंन में आते हैं जिनको विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त किए हैं।

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलार्थी द्वारा जो मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है वह द्वितीय सेटलमेंट में बनाए गए खसरों का जो वर्ष 1989 से वर्ष 2009 के सेटलमेंट के है जिसमें भू प्रबंध विभाग के फॉर्म में स्पष्ट रूप से तारीख लिखी हुई है तथा उक्त फॉर्म में जो संवत् का वर्णन किया गया है वह पूर्व में छपे छपाये फॉर्म पर लिख दिया गया है जिसको अपीलार्थी की ओर से विक्रम संवत् 2009 का होना गलत वर्णित किया है जिसकी प्रविष्टी नामातंरकरण सं. 156 व 157 के बाद की है जिससे अपीलार्थी को कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है इस प्रकार अपीलार्थी की ओर से जानबूझ कर गलत तथ्य वर्णित किए हैं जो अपीलार्थी का आधार निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलार्थी की ओर से विवादित भूमि दावा सं 258/1960 बअनवान धर्माशंकर बनाम सरकार दिनांक 05.12.1959 को प्रस्तुत कर खातेदारी की डिक्री प्राप्त करने का तथ्य पूर्णतया गलत प्रस्तुत किया है यदि उक्त डिक्री उक्त समय में जारी की जारी तो

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

राजस्व रेकर्ड में अवश्य दर्ज होती जबकि उक्त धर्माशंकर ने नामातंरकरण सं 156 व 157 दिनांक 07.03.1968 को रेगुलराईज होना बताकर दर्ज करवाया है। रेगुलराईज का आदेश अपीलार्थी द्वारा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उक्त दावे का वर्णन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व उनके बेचानकर्ता व उनके पूर्वजों के नाम से कोई भूमि का रेगुलराईज आदेश नहीं है तथा भूमि पायतन की होने से रेगुलराईज की भी नहीं जा सकती है, इस कारण अपीलार्थी की अपील निरस्तनीय है। अपीलार्थी की ओर से जो गिरदावरी की जो नकलें प्रस्तुत की है उससे भी अपीलार्थी का कोई आधार नहीं बनता है। गिरदावरी से भी किसी को कोई खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी मुकेश का प्रार्थना पत्र विलम्भ से प्रस्तुत होने का जो कारण दिया है वह पूर्णतया गलत है जब घनश्याम व मदनलाल व उनके पूर्वज के नाम से बिना रेगुलराईज आदेश के जो नामातंरकरण सं. 156 व 157 दर्ज किए गए हैं इस प्रकार के आदेशों के विरूद्ध म्याद लागू ही नहीं है न घातक है। चूंकि भूमि जलागम क्षेत्र पायतन की भूमि है जो रेगुलराईज के लिए वर्जित है। जिसकी खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है मान्य उच्च न्यायालय ने अब्दुल रहमान के केस में जलागम क्षेत्रों के रेकर्ड को पूर्ववत् बहाल करने का सिद्धांत पारित किया है जो वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से लागू होता है इस प्रकार अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील मय खर्चा खारिज किये जाने का आदेश फरमावे तथा नामातंरकण संख्या 156 व 157 को निरस्त किया जाकर उसके परिणामस्वरूप दर्ज की गई राजस्व रेकर्ड समस्त प्रविष्टियों को निरस्त किए जाने एवं उसकी पूर्व की स्थिति बहाल किए जाने का आदेश फरमावे ।

7. बहस के द्वौरान रेस्पोडेण्ट संख्या 8,12 व 16 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी ने उक्त भूमि सत्यनारायण और गोपीकिशन से दिनांक 24.05.2000 को जरिये रजिस्टर्ड बेचानामा खरीद की गई थी, जो भूमि इनके कब्जा काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि थीं। स्वर्गीय धर्माशंकर श्रीमाली द्वारा दिनांक 05.12.1959 को उपखण्ड अधिकारी भीनमाल के समक्ष एक वाद बावत घोषणा उक्त भूमि को गलत तरीके से सेटलमेन्ट के समय पायतन दर्ज होने को सुधारकर स्वंय के खातेदारी की घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत कर अपने पक्ष में दावा डिक्री कवाया गया था, जिसके वाद संख्या 258/1960 बअनवान धर्माशंकर श्रीमाली बनाम सरकार है। वाद संख्या 258/1960 बअनवान धर्माशंकर श्रीमाली बनाम सरकार की मिसल के उपलब्ध रेकर्ड की प्रमाणित प्रति की फोटो प्रतियों से स्पष्ट है। 1993 में भीनमाल में बाढ़ आने की वजह से न्यायालय का अधिकांश रेकर्ड नष्ट हो गया था। उक्त कृषि भूमि का 1/2, 1/2 हिस्से को मदनलाल व घनश्याम के पक्ष में उक्त भूमि का नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया गया। अपीलार्थी सद्भाविक केता हैं और वक्त खरीद से उक्त भूमि का कब्जा काश्त खातेदार हैं। इसी बिनाह पर अपीलाधीन आलौच्य आदेश निरस्त करने योग्य हैं।

8. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। जिसमें निम्न बिन्दु परिलक्षित हुए–

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

8.1 मौजा बागोडा के नामान्तरकरण संख्या 156 दिनांक 07.03.68 के कॉलम संख्या 14 में "जरिये रेगुलाईज" अंक कर आलौच्य भूमि का खसरा नंबर 792/651 रकबा 53 बीघा 5 बिस्वा भूमि बिला कब्जा राज. सरकार को मोहनलाल पुत्र केसूरामजी कौम श्रीमाली सा.देह के नाम अंकन करना प्रस्तावित कर बाद जांच जिनके भाई धर्माशंकर पुत्र केसूराम तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बागोडा द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया था।

उक्त नामान्तरकरण पर दर्ज करने वाले पटवारी हल्के के हस्ताक्षर व नाम तथा पटवारी हल्का की टिप्पणी रिपोर्ट भी अंकित नही है। उक्त कार्यवाही किस वैद्य आधार/रेगूलाईजेशन आदेश के आधार की गई है ? का कोई ब्यौरा नामान्तरकरण संख्या 156 पर अंकित नही किया गया एवं सरकारी भूमि किसी व्यक्ति के नाम अन्तरित करने हेतू नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही सरपंच द्वारा बिना अधिकारिता के की गई है। इस तरह की कार्यवाही हेतू तहसीलदार ही विधिक रूप से सक्षम अधिकारी थे।

8.2 हस्तगत अपील के अपीलाण्टगण मूलतः खसरा नंबर 792/651 के नये खसरा नंबर 1274,1274/1548,1274/1651 के खातेदार उक्त मोहनलाल पुत्र केसू श्रीमाली से वर्ष 2005 में कय कर क्रेतागण है, जिनको अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही बनाया गया था, यह हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

वस्तुतः हस्तगत अपील के अपीलार्थी केतागण, विक्रतागण जिनके पक्ष में वर्ष 1968 में जरिये नामान्तरकरण संख्या 156 कथित रूप से रेगूलाईज हुआ है, से ज्यादा अच्छे स्वत्व एवं अधिकार transfer of property act 1882 के प्रावधानो के तहत प्राप्त नही कर सकते है।

8-3 अब्दुल रहमान प्रकरण डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1536/2003 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.08.2004 में निर्णय पारित किया गया कि " All land shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc as on 15-08-1947 should be declared as govt. land. Any coversions made after 15-08-1947 should be declared ilegal. The relavant act and rules must be amended accordingly."

हस्तगत प्रकरण की भूमि भी संवत् 2011 की जमाबंदी मिसल में पायतन भूमि के रूप में सरकारी भूमि अंकित थी। जिसे किसी भी निजी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी कार्यवाही में यदि यदि कथत रूप में "रेगूलाईज" भी किया है तो यह कार्यवाही विधि शुन्य मानी जायेगी।

इस क्रम में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा इस बावत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय से डिक्री होने का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

उल्लेख कर कुछ दस्तावेज पेश किये है जो शामिल पत्रावली है, परन्तु इसमें कोई भी अदालती निर्णय अथवा डिक्री की प्रति नही है एवं यदि यह कार्यवाही हुई भी है तो उसका भी कोई महत्त्व नही है, क्योकि माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण अब्दुल रहमान प्रकरण में पारित सामान्य दिशा निर्देश दिनांक 02.08.2004 के क्रम में दिनांक 15.08.47 को जलसंबधी समस्त भूमियां राज्य सरकार के नाम ही दर्ज किये जाने के आदेश उपरान्त विधिक स्थिति बहुत ही स्पष्ट हो गई है।

8-4 इस संबंध में वकील रेस्पोडेण्ट्स सख्या एक द्वारा एक विधिक दृष्टांत आरआरटी 2013(1) पेज न. 436 प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार यदि सरकारी भूमि को अविधिक प्रक्रिया द्वारा किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज कर दी गई तो ऐसे मामले में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को घातक नही माना गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत आर आर टी 2013(1) पेज नंबर 436 प्रस्तुत किये गये है जो विचाराधीन प्रकरण पर चस्पा होते है।

8.5 मिसल खतौनी संवत 2011 अनुसार भूमि खसरा नंबर 651 कुल रकबा 292 बीघा जिसमें आलौच्य रेगूलाईज खसरा नंबर 792/651 रकबा 53 बीघा 5 विस्वा भी सम्मिलित है, की किस्म गै.मू. पायतन है । साथ ही इस भूमि से चिपती हुई भूमि खसरा नंबर 650 गै.मू. तालाब व खसरा नंबर 648 एवं 649 गै.मू. थान (मंदिर) है। इस सम्पूर्ण भूमि के संबंध में रेस्पोडेण्ट द्वारा राजस्व नक्शा भी पेश किया गया है जिसको एक दृष्टि समग्रता से देखने पर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि आलौच्य भूमि तालाब का कैचमेण्ट एरिया का ही भाग है। इस प्रकार इस भूमि बावत अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि को पायतन भूमि मानते हुए राज्य सरकार के नाम दर्ज करने का निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है।

यह आलौच्य भूमि मूलतः गै.मु. पायतन है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की है। इस पर कोई आवंटन/नियमन/ खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है।

8.6 राज. भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) नियम 1970 के नियम 14(4) में कलेक्टर को ऐसे किसी भी आवंटन को निरस्त करने की विधिक शक्तियां है एवं हस्तगत प्रकरण में न्यायालय अति. जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित निर्णय पूर्णतः सद्भाविक है एवं रेगूलाईजेशन की कार्यवाही जरिये नामान्तरकरण संख्या 157 दिनांक 07.03.1968 कत्तई पोषणीय नही है। अतः नामान्तरकरण संख्या 156 निरस्तनीय है।

9. प्रकरण का गुणवगुण पर विवेचन के दौरान एक ओर महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाशित हुआ है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत कर्ता श्री मुकेश पुत्र अचलिया का यह भी कथन था कि उनके पिता अचलिया वल्द मायाराम जाति सुनार के नाम साबिक खसरा 614 रकबा 15 बीघा 14

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

बिस्वा भूमि मिसल बन्दोबस्त संवत् 2011 एवं जमांबदी संवत् 2020–23 में दर्ज था। जबकि जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 में यह भूमि बिना किसी / विधिक कार्यवाही / नामान्तरकरण के मोहनलाल, बद्रीनारायण पि. केसूराम कौम श्रीमाली खातेदार के नाम दर्ज कर की गई व जमाबंदी में नीचे नामान्तरकरण संख्या 156 का उल्लेख किया गया। जबकि नामान्तरकरण संख्या 156 का अवलोकन करने पर उसमे खसरा नंबर 614 को कोई उल्लेख ही नही है एवं राजस्व जमांबदी चौसाला बनाते समय अकारण ही अवधानतावश लिपिकीय त्रुटिकारित करते हुए महज नामान्तकरण संख्या 156 का उल्लेख कर उनकी खातेदारी की भूमि दीगर व्यक्तियों रेस्पोडेण्ट्सगण मोहनलाल, बद्रीनारायण पि. केसूराम जाति श्रीमाली के नाम दर्ज कर दी गई।

खसरा नम्बर 614 के वाजिब खातेदार अचला पुत्र मायाराम जाति सुनार के वारिस मुकेश पुत्र अचलाराम द्वारा इस त्रुटि को भी दुरूस्त करवाने के लिए प्रथम अपील में ना.करण सं. 156 द्वारा उक्त मुख्य विषय खसरा नं. 792 / 651 गै.मु. पायतन की खातेदारी गलतरूप से रेस्पोडेण्ट को जरिये रेगुलाईजेशन किये जाने को निरस्त करवाने हेतु चाही गई रिलीफ के साथ स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा न. 614 बाबत भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में रिलिफ चाही गई थी।

इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.19 में बहस सुनने उपरान्त पारित निर्णय में नामान्तरणकरण सं. 156 द्वारा साबिक खसरा नम्बर 614 की खातेदारी बाबत राजस्व अभिलेख में हुए गलत अंकन बाबत विश्लेषण भी किया गया है परन्तु अंतिम आदेश में नामान्तरकरण संख्या 156 को निरस्त करने का निर्णय पारित किया गया है परन्तु इस साबिक खसरा नंबर 614 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा की खातेदारी पुनः वाजिब खातेदार अचलिया पुत्र मायाराम जाति सुनार के नाम राजस्व अभिलेख में वापस दर्ज करने बाबत कोई निर्देश प्रदान नही किये गये।

साबिक खसरा नम्बर 614 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 1220 रकबा 0.27 है, खसरा नंबर 1960 / 1220 रकबा 0.26 है., खसरा नंबर 1961 / 1220 रकबा 0.26 है, खसरा नंबर 1789 / 1220 रकबा 0.78 है., खसरा नंबर 1788 रकबा 1220 रकबा 0.79 है. कुल रकबा 2.36 है. जो सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेण्टगण मोहनलाल,बद्रनारायण पि. केसूराम श्रीमाली के वारिसान दीगर रेस्पोडेण्ट्स के ही नाम दर्ज है।

इस क्रम में प्रकरण का गहनतापूर्वक मंथन किया गया एवं पाया गया कि खसरा नंबर 614 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा की भूमि में बिना किसी विधिक कार्यवाही के अचलिया पुत्र मायाराम जाति सुनार का नाम जमाबंदी 2024–2027 में हटाकर रेस्पोडेण्ट्स मोहनलाल, बद्रीनारायण पि. केसूराम श्रीमाली के नाम दर्ज किया गया है जो कि एक महज लिपिकीय त्रुटि है जिसको दुरस्त करने के धारा 136 आर एल आर एक्ट में पर्याप्त प्रावधान है जिसके तहत भू–अभिलेख अधिकारी जिला कलक्टर अथवा उप खण्ड अधिकारी कार्यवाही करने हेतु पूर्णतः सक्षम है। यह एक bonafide

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

mistake है जिसे तत्काल दुरस्त किया जाना चाहिए। इस बावत पक्षकार मुकेश पुत्र अचलाराम जाति सुनारा द्वारा वक्त बहस एक प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2024 भी पृथक से न्यायालय हाजा के समक्ष मय दस्तावेजात के प्रस्तुत किया है जिसे इस निर्णय की एक प्रति सहित वास्ते आवश्यक कार्यवाही जिला कलेक्टर जालोर व संबंधित उपखण्ड अधिकारी बागोडा को भेजकर इस संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोडा को अंतर्गत धारा 136 आर एल आर एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर सम्पूर्ण कार्यवाही 45 दिवस में निस्तारित करने के भी निर्देश दिये जाते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जालोर का निर्णय दिनांक 30.08.2019 को यथावत रखा जाता हैं। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.08.2019 की पालना जिला कलक्टर जालोर एवं संबंधित तहसीलदार द्वारा तत्काल सुनिश्चित किये जाने हेतु न्यायालय हाजा के निर्णय की प्रति उन्हे भिजवाई जाकर पालना सुनिश्चित करावे। एवं ना.करण सं. 156 की विषय वस्तु साबिक खसरा नम्बर 614 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा नही होते हुए भी ना.करण सं. 156 का उल्लेख करते हुए जमाबन्दी संवत 2024–2027 एवं पश्चातवर्ती राजस्व अभिलेख में हुए त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को तत्काल दुरूस्त करने की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु जिला कलेक्टर जालोर एवं उपखण्ड अधिकारी बागोडा को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2024 को न्यायालय हाजा द्वारा पारित इस निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे एवं प्रार्थना पत्र की एक प्रति शामिल पत्रावली रखी जावे। पत्रावली दर्ज फैसल होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जाये

29.11.24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास में सुनाया गया।

29.11.24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)